राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोनः– 2708739 E-mail: rajssa.cce@gmail.com फैक्सः– 5107388, 2701822

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/SIQE/ /2018–19/ 8645 दिनांक : 16/11/18

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

प्राचार्य,
डाइट
समस्त जिले।

स्मरण पत्र

विषय – प्रत्येक पंचायत से 1–1 एसआईक्यूई केआरपी का चयन करने के क्रम में।
सन्दर्भ – परिषद का पत्रांक 7971 दिनांक 26.10.2018
प्रसंग – दिनांक 11.10.2018 को आयोजित परियोजना परिचालन समिति (PSC) की बैठक प्रतिवेदन की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु संचालित कार्यक्रम **"स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन"** (SIQE) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार पंचायत स्तर पर SIQE की अच्छी समझ रखने वाले कम से कम एक अध्यापक का चयन के.आर.पी. के रूप में करने हेतु आपको सन्दर्भित पत्र लिखा गया था। किन्तु खेद का विषय है कि आपके जिले से सूचना परिषद आदिनांक अप्राप्त है।

अतः आपको इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिले के **प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कम से कम एक अध्यापक को केआरपी के रूप में सन्दर्भित पत्रानुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चयन करवाना सुनिश्चित करवाएं।**

सूचना संकलन में आपके द्वारा अपनाई जा रही कार्यशैली के कारण सूचना विद्यालय से परिषद को प्राप्त हो रही है, जो निर्धारित परिपाटी के विरूद्ध है। अतः आपको स्पष्ट किया जाता है कि **सूचनाएं ब्लॉक कार्यालयों से प्राप्त कर जिला स्तर पर ब्लॉकवार समेकित कर आपके कार्यालय के माध्यम से मय हस्ताक्षर पीडीएफ एवं एक्सल सॉफ्टवेयर में दिनांक 22 नवम्बर, 2018 परिषद को प्रेषित करें।**

www.rajteachers.com

(डॉ0 प्रियाबलराम शर्मा)
उपायुक्त– द्वितीय

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/सीसीई/2018–19/ 8646 दिनांकः 16\11\18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रार.शि. / माध्य.शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
6. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त– द्वितीय